FROM : JAYESH DADIA & ASSOCIEATES FAX NO. : 091 22 4602418 Jul. 02 2007 08:45PM P1

2563/73

कार्यालय, आयकर निदेशक (छूट)

छठी मंजिल,पीरामल चैम्बर्स,लालबाग मुंबई 400 012..

न्यास का नाम - **रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे बेव्ह्यू चैरिटेबल ट्रस्ट**

पता- 244,वालकेश्वर रोड,विधानी काटेज,मुंबई-400 026.

आयकर अधिनियम,1961की धारा 12AA(1)(b)(i)के अन्तर्गत प्रमाणपत्र

न्यास विलेख /संस्था के ज्ञापन द्वारा दिनांक **01/06/2002** को उक्त संस्था स्थापित की गई.संस्था ने आयकर अधिनियम,1961की धारा12A(a)के अधीन विहित प्रपत्र में दिनांक **14/11/2003** को पंजीकरण हेतु आवेदन किया. यह आवेदन पंजीकरण हेतु अनुबध्द समय सीमा के बाद दाखिल किया गया है..

2.आवेदक ने भूतलक्षी प्रभाव पाने के लिये कोई विशेष याचिका दाखिल नहीं की, अतः यह आवेदन पंजीकरण हेतु प्रभावी समय सीमा **01/04/2003** से दिया जाता है.

3.आयकर अधिनियम,1961 की धारा 12A(a) के अधीन रखे गए आवेदन पत्र रजिस्टर में न्यास / संस्थान का नाम आइ.एन्.एस्./टी.आर. **37952(A)** द्वारा पंजीकृत किया गया है.

4.न्यास /संस्था के विलेख (deed) में कोई परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया अर्थात् क्षेत्राधिकार स्थित उच्च न्यायालय के आदेश के बिना नहीं किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.

5.आयकर अधिनयम 1961,की धारा 12AA के अधीन पंजीकरण न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता.इस आदेश द्वारा पंजीकरण की केवल सैद्धान्तिक मंजूरी दी जा रही है.इस पंजीकरण के होते हुए भी न्यास या संस्था की आय की करदेयता का प्रश्न - निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था की गतिविधियों,विभिन्न कानूनी एवं अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन के आधार पर परीक्षण एवं निर्धारण के पश्चात् - तय किया जायेगा.

6.आयकर अधिनयम 1961,की धारा 12AA के अधीन पंजीकरण दानदाता को धारा 80 जी के अन्तर्गत कटौती का अपने आप कोई अधिकार प्रदान नहीं करता.

7.इस प्रमाणपत्र को न्यास या संस्था के संबंधित निवेश के बारे में कर की कटौती न करने की मांग का आधार नहीं बनाया जायेगा.

8.संस्था या न्यास ने स्थायी लेखा संख्या(PAN)के लिए आवेदन नहीं किया हो तो उसे स्था.ले.सं.के लिए आवेदन करना होगा और संस्था के समस्त पत्राचार में स्था.ले.सं.का उल्लेख करना होगा.

9.अधिनियम के अधीन दी गई अवधि के अंदर प्रत्येक वर्ष न्यास या संस्थान को विवरणी दाखिल करनी होगी

दिनांक: 19/01/2004

मुंबई

sd/-
(राजेन्द्र)
आयकर निदेशक (छूट),मुंबई.

प्रतिलिपि- 1.) आवेदक 2.) अति.आ.नि.(छू),रेंज I.II,मुंबई.
3.) निर्धारण अधिकारी.4).गार्ड फाईल

(एस्.एन्.नायर)
आयकर अधिकारी.(मुख्यालय),कृते आयकर निदेशक(छूट),मुंबई